

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा)
पाली-मारवाड़

—: कार्यालय आदेश :—

संस्था का नाम राजस्थान नोबल पब्लिक स्कूल, फालना

पू 30 - बाली जिला- पाली- मारवाड़-राज0४

को राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम 1993 एवं तत्पश्चात् किये गये संशोधन के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सत्र 2005 - 06 से ~~प्रारंभिक~~ / उच्च प्राथमिक स्तर (अंग्रेजी माध्यम) की मान्यता उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं शपथ पत्र के आधार पर परिशिष्ट -II की पूर्ति एवं संस्था में कार्यरत सभी अध्यापक प्रशिक्षित होने की शर्त है तथा पैनल निरीक्षण दल की अभिशंका पर दी जाती है।

मान्यता नियमों की पालना न करने अथवा किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विपरीत स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता निरस्त की जा सकती है।

संस्था नियमानुसार निर्धारित पाठ्यक्रम का ही अध्ययन करावे।

—सं—
जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारंभिक शिक्षा) पाली

क्रमांक :- जि.शि.अ/प्रा.शि./पाली/निजी/मान्यता/2005/ 122 दिनांक 4³/05

प्रतिलिपी :- निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 1- संबंधित संस्था पू 30 राजस्थान नोबल पब्लिक स्कूल, फालना-पाली
- 2- संबंधित पंजिका _____


सचिव
नोबल एज्युकेशन सोसाइटी, फालना


जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारंभिक शिक्षा) पाली